

कार्यालय महालेखाकार (ले. व ह.) पंजाब व यू.टी. चण्डीगढ़

का.अ. संख्या प्रशासन-2/क/ 461

दिनांक 20-11-2023

कार्यालय आदेश

भारत सरकार गृह मंत्रालय के कार्यालय संख्या स.फ. 29-113-66 एम.ए. दिनांक 20-05-67 और क्रमांक संख्या एस-14013/1/74 एम.सी. दिनांक 18-09-76 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अपने माता-पिता को आश्रित घोषित करवाना होता है। इसलिए इस कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अपने माता-पिता को वर्ष 2024 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अपने उपर आश्रित घोषित करवाना हो, वे अपने आवेदन पत्र 15-12-2023 तक प्रशासन -2 अनुभाग में अवश्य दें। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें जो कि उनके माता-पिता के आश्रित होने का प्रमाण हो। निर्धारित तिथि 15-12-2023 के बाद वर्ष 2024 के लिए आश्रित घोषित करवाने हेतु कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवश्यक प्रपत्र/फार्म प्रशासन-2 अनुभाग से 3:30 से 4:30 सायं तक कार्यालय दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।


हस्त-

व.ले.अ. (प्रशा-2)

पृष्ठांक सं. प्र.-2/101(2) चिकित्सा निर्भरता 2023-24/461-67 दिनांक- 20-11-2023
उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती

है

1. निजी सचिव उपमहालेखाकार
2. वरिष्ठ निज सचिव वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशा)
3. निजी सचिव उपमहालेखाकार (लेखा एवं वी.एल.सी.)
4. निजी सचिव उपमहालेखाकार (पेंशन)
5. कल्याण अधिकारी
6. आईटी सपोर्ट cell/सभी अनुभाग
7. सभी सूचना पट्ट



व.ले.अ (प्रशा-2)